सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/ shailshamachar

वर्ष 43 अंक – 15 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 02 – 09 अप्रैल 2018 मूल्य पांच रूपए

प्रदेश के सहकारी बैंको का एनपीए हुआ 938.27 करोड़

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में दस बैंक कार्यरत हैं यह बैंक हैं हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक, कांगड़ा केन्द्रिय सहकारी बैंक, जोगिन्द्रा सहकारी बैंक, हि. प्र. राज्य सहकारी एवम् ग्रमीण विकास बैंक, कांगड़ा कृषि एवम् सहकारी बैंक, विकास बैंक, शिमला अर्बन सहकारी बैंक, परवाणु अर्बन सहकारी बैंक, मण्डी अर्बन सहकारी बैंक, बघाट अर्बन सहकारी बैंक और चम्बा अर्बन सहकारी बैंक। यह बैंक प्रदेश में सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। इनमें अर्बन सहकारी बैंको को छोड़कर सबमे एमडी/प्रशासक की नियुक्ति प्रदेश सरकार करती है और इस तरह इनके प्रबन्धन में सरकार का सीधा दखल भी रहता है। इस दखल के अतिरिक्त प्रदेश का रजिस्ट्रार सहकारिता तो इन सब बैंको का एक तरह से नियन्ता ही होता है। इनका पूरा बोर्ड एक तरह से पंजीयक को जवाब देह होता है। ऐसे में इनमें हो रहे हर कार्य के लिये इनके निदेशक मण्डल के साथ ही सरकार भी बराबर की जिम्मेदार रहती है। प्रदेश के यह सहकारी बैंक वाणिज्यक बैंकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। इनमें केवल राज्य सहकारी बैंक को ही वाणिज्य बैंक का स्तर मिला हुआ है। यह अधिकांश में लोगों की जमा पूंजी के ही सहारे अपना कारोबार करते हैं। कुछ को नाबार्ड से भी निवेश सहायता मिलती है। यह बैंक आरटीआई के दायरे से भी बाहर इसलिये इनकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और रजिस्ट्रार सहकारिता के तहत पंजीकृत हर संस्था को हर वर्ष अपनी आडिट रिपोर्ट रजिस्ट्रार को देनी होती है।

विधानसभा के इस बजट सत्र में कांगड़ा केन्द्रिय सहकारी बैंको को लेकर एक लम्बी बहस रही है। इस बैंक को लेकर यह आरोप रहे हैं कि इसमें भी नीरव मोदी बैंक को करोड़ो का चूना लगा गये हैं। इस बैंक पर लगे आरोपों की जांच करवाने का सदन में आश्वासन दिया गया है। इस जांच में क्या निकलता है यह तो जांच होने के बाद ही सामने आयेगा यदि यह जांच होती है तो। इस समय प्रदेश के इन दस बैंको में 938.23 करोड़ का एनपीए चल रहा है जिसमें कांगड़ा केन्द्रिय सहकारी बैंक 56060 करोड़ के साथ पहले स्थान पर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक 250.48 करोड़ के एनपीए के साथ दूसरे नंबर पर है। बैंकिग नियमों के मुताबिक यदि किसी बैंक का एनपीए 15% तक पंहुच जाये तो बैंक को बन्द कर देने तक की चर्चा चल पड़ती है। कांगड़ा केन्द्रिय सहकारी बैंक का एनपीए 14.87% है। इसमें यदि इसके रिस्क फंडज़ को डाला जाये तो यह निश्चित रूप से बन्द कर दिये जाने के दायरे में आता है। उसी तरह राज्य सहकारी बैंक का एनपीए 4.91% है लेकिन इसके रिस्क फंडज़ 16.92% है। जिसका सीधा अर्थ है कि यह कभी भी एनपीए हो सकते हैं। इस तरह राज्य सहकारी बैंक भी खतरे के उस कगार तक पंहुच चुका है।

बैंकिग नियमों के मुताबिक जब किसी बैंक द्वारा दिये गये ऋण की वापसी की किश्तें तय समय तक नहीं आती हैं तब वह खाता एनपीए में डाल दिया जाता है। सामान्यत: यह समय सीमा तीन माह की रहती है, लेकिन इसमें बैंक वर्षो तक ऋण का पैसा वापिस आने का इन्तजार और प्रयास करते हैं और जब यह सारी सीमाएं लांघ जाती है तब खाते को एनपीए घोषित किया जाता है। पिछले काफी समय से राष्ट्रीयकृत बैकों के छ: लाख करोड़ से अधिक के एनपीए को लेकर देश में बहस और चिन्ता चली हुई है। जब से एनपीए का नीरव मोदी कांड सामने आया है तब से यह चिन्ता और चर्चा और भी गंभीर हो गयी है। आरबीआई ने इस दिशा में कुछ और निर्देश जारी किये हैं। केन्द्र सरकार पहले बैंकों को बेल आऊट करती रही है लेकिन जब से सरकार ने बेल आऊट की जगह बेल इन का प्रावधान करने की योजना बनाई है तब से यह समस्या और भी गंभीर हो गयी है क्योंकि बैंको में अभी तक इन्श्योरैन्स के नाम पर केवल एक लाख रूपया ही सुरक्षित है। बेलइन को लेकर जब से बहस सामने आयी है तब से केन्द्र सरकार इस पर लोगों को आश्वासन तो दे रही है लेकिन नियमों में कोई संशोधन नही किया है। इस परिदृश्य में आज प्रदेश सहकारी बैंको की इस स्थिति को देखकर यह सवाल उठना स्वभाविक है कि इस 938.27 करोड़ के एनपीए को वसूलने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी और इसके लिये रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव से लेकर बैंक के प्रबन्धक मण्डलों की जिम्मेदारी तय करेगी या नही है।

यह हैं एनपीए का विवरण

1.	राज्य सहकारी बैंक –	250.48 करोड़ 4.91%
2.	कांगड़ा केन्द्रिय सहकारी बैंक –	560.60 करोड़ 14.87%
3.	जोगिन्द्रा सहकारी बैंक	52.66 करोड़ 15.86%
4.	हि. प्र. राज्य सहकारी कृषि एवम् ग्रामीण विकास बैंक	84.45 करोड़ 20.80%
5.	कांगड़ा कृषि एवम् ग्रामीण विकास बैंक –	29.50 करोड़ 24.60%
6.	शिमला अर्बन सहकारी बैंक –	2.04 करोड़ 6.60%
7.	परवाणु अर्बन सहकारी बैंक	6.06 करोड़ 3.3%
8.	मण्डी अर्बन सहकारी बैंक –	1.32 करोड़ 27.98%
9.	बघाट अर्बन सहकारी बैंक	20.99 करोड़ 4.5%
10.	चम्बा अर्बन सहकारी बैंक –	023 करोड़ 2.55%

खेल विधेयक की वापसी सिद्धान्त नहीं संख्या बल की जीत

शिमला/शैल। भारी शोरगुल और विपक्षी पार्टी के विराध के बीच जयराम सरकार ने सदन में खेल विधेयक को वापस ले लिया। विधेयक वापसी का विरोध करते हुए कांग्रेस विधायकों ने कहा कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि नियमों को दरकिनार कर विधेयक को वापस लिया गया हो। कांग्रेस पार्टी की ओर से मुख्य सचेतक जगत सिंह नेगी और सदन में कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने नियमों का हवाला भी दिया। आशा कुमारी ने भी स्पीकर से व्यवस्था देने का आग्रह किया। स्पीकर ने कहा कि उन्होंने नियमों को देखने के बाद ही सरकार को इस विधेयक को वापस लेने की इजाजत दी है। सदन में इस मसले पर जमकर नारेबाजी हुई।

मुख्य सचेतक जगत सिंह नेगी ने सदन में कहा कि नियम 176 के तहत विधेयक वापस लेने से पहले सदन के सभी सदस्यों को समय रहते जानकारी देनी होती है। सरकार ने ऐसा नहीं किया है। ऐसे में नियमों के मुताबिक इस बिल को वापस लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों को कम से कम एक दिन का नोटिस देने के बाद स्पीकर इस विल को वापस लेने की इजाजत दे सकते हैं।

पहली बार विधानसभा चुनकर पहुंचे विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विधेयक को वापस लेने के पीछे खास खेल संघों को फायदा पहुंचाने की मंशा है। पिछली सरकार ने इस विधेयक को इसलिये पारित किया था ताकि खेल संघों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो और पारदर्शिता बरती जाए। उन्होंने जस्टिस लोढ़ा समिति की सिफारिशों का हवाला भी दिया व कहा कि इसे एचपीसीए के परिपेक्ष्य में ही देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने एचपीसीए को लगातार निशाने पर रखा

व कहा कि सब जानते है कि एचपीसीए 2005 में सोसायटी भी थी व कंपनी भी थी। कंपनी के तहत यह हिमालयन प्लेयरज़ क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से थी। इसका कार्यालय कानुपर था। एचपीसीए को दी गई ज़मीने बाद में कंपनी को चली गई। इस मामले में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमें लंबित हैं। मामला सब ज्यूडिशयस है।

विक्रमादित्य ने कहा कि सरकार इस विधेयक को वापस लेकर एचपीसीए को राहत देना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता विद्या स्टोक्स को बगैर भरोसे में लिए हॉकी इंडिया के चुनाव करा दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितने भी खेल संघ है वह राजनीति के शिकार है। खेल संघों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के सुपुर्द कर इन्हें नेताओं के दखल से बाहर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एचपीसीए पर जमीन माफिया और खेल माफिया तक के इल्जाम लगे। जब एचपीसीए ने सेना के सुपुर्द अनाडेल मैदान को अपने कब्जे में लेने की होड़ मचाई तो तब के आर्मी ट्रेनिंग कमांड के प्रमुख ने टिप्पणी की थी भाजपा सरकार जमीन माफिया की तरह काम कर रही है। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कि प्रदेश सरकार रक्षा मंत्रालय के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेगी।

कांग्रेस विधायक राम लाल ने कहा कि खेल मंत्री कह रहे हैं कि वह हरियाण सरकार के खेल विधेयक की तरह इसे बनाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके विधेयक के मुताबिक खेल परिषद का प्रावधान है व उसमें चार चार मंत्री है। बाकि सदस्यों को भी सरकार नामित करती है। उन्होंने कहा एचपीसीए को प्राइम लैंड दी गई है वह उन्होंने कंपनी के नाम कर दी वह भी बिना अनुमति के। रामलाल ने कहा कि दिल्ली में एक मंत्री हैं व कुछ नेता कांग्रेस के भी है जिनकी खेल संघों पर कब्जा करने की मिलीभगत है। उन्होनें कहा कि इस विधेयक को वापस न लिया जाए। भाजपा के राकेश पठानिया ने कहा कि जो नया विधेयक लाया जाएगा उसमें ये सब प्रावधान किए जाए। कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया व कहा कि नियम 30 के तहत यह अनिवार्य है कि विधेयक क्यों वापस लिया जा रहा है उसके बारे में सदन को अवगत कराया जाए। विधेयक लागू ही नहीं हुआ है ऐसे में जल्दी क्या है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पहले इस पर व्यवस्था दें।

स्पीकर ने नियमों का हवाला देकर कहा कि वह नियमों के तहत ही सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने खेल मंत्री को विधेयक वापिस लेने की इजाज़त दे दी। तो कांग्रेस विधायकों ने शोरगुल करना शुरू कर दिया और सदन में जमकर नारेबाजी की। इस शोरगुल व नारेबाजी के बीच खेलमंत्री गोबिंद ठाकुर ने विधेयक को वापिस ले लिया। गौर हो कि खेल विधेयक को अप्रैल 2015 में पिछली वीरभद्र सिंह सरकार में पारित किया गया था लेकिन राज्यपाल ने इस पर दस्तखत नहीं किए व यह राजभवन में ही फाइलों में दफन रहा। यह खेल विधेयक भले ही वापिस ले लिया गया है लेकिन इन पर जिस तरह से बहस को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया उससे सैद्धान्तिक रूप से विपक्ष सत्ता पक्ष पर भारी पड़ा है। इसमें विक्रमादित्य और रामलाल ठाकुर की बहस का स्तर सही में प्रशंसनीय रहा है। जबकि सत्ता पक्ष की ओर से केवल राकेश पठानिया विधेयक वापिस लेने की पैरवी करते रहे लेकिन वह भी मध्यमार्ग अपनाते हुए।

सकारात्मक सोच विकसित करने में खेलों की भूमिका: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शिमला के समीप पुलिस मैदान भराड़ी में मुख्यमंत्री एकादश तथा प्रेस एकादश के बीच टी-20 क्रिकेट मैच का शुभारंभ किया। मैच का आयोजन शिमला खेल, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संघ द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री एकादश टीम के कप्तान मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर

भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि इस तरह की खेल गतिविधियां न केवल आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने में सहायक होती है, बल्कि लोगों के बीच परस्पर मेल-जोल बढ़ाने में भी सहायक होती हैं। उन्होंने इस तरह की प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन के लिए एसोसियेशन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन न केवल व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि खेल की भावना व आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने में भी सहायक होते हैं। आचार्य देवव्रत ने कहा कि अच्छी दिनचर्या, स्वस्थ आहार व शारीरिक व्यायाम न केवल स्वस्थ जीवन जीने में सहायता करते है, बल्कि व्यक्तित्व में सकारात्मक सोच लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने स्वस्थ व तनावमुक्त जीवन के लिए योग व खेल गतिविधियों को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच से स्वस्थ दिमाग विकसित होता है जबकि नकारात्मकता अनेक बीमारियों को आमंत्रित करती है। उन्होंने विश्वास जताया कि संघ प्रदेश भर में इस तरह के आयोजन करेगा, जो प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी।

उन्होंने अपनी टीम राज्यपाल एकादश के सदस्यों का मनोबल भी बढ़ाया, जिन्होंने कठिन परिश्रम के बावजूद मैच गवां दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक बेहतर खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने कुरूक्षेत्र में गुरूकुल का दौरा किया, जहां उन्होंने शूटिंग की तथा 10 में से 10 अंक हासिल किए। शायद इसी कारण मुख्यमंत्री के अच्छे प्रदर्शन के चलते कई वर्षों बाद राज्यपाल एकादश मैच हार गई। शिमला खेल सामाजिक एवं सांस्कृतिक एसोसिएशन के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने राज्यपाल को हिमाचली टोपी व शॉल भेंट कर सम्मानित किया।

इससे पूर्व, एसोसियेशन के महासचिव डॉ. लोकेन्द्र शर्मा ने राज्यपाल का स्वागत किया। उन्होंने राज्यपाल से दोनों टीमों के खिलाड़ियों का परिचय भी करवाया। राज्यपाल ने टॉस किया और मुख्यमंत्री एकादश ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई गेंदबाजी का भी सामना किया।

पीड़ित मानवता की सेवा ही वास्तविक सेवा: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा ही वास्तविक सेवा एवं पूजा है। उन्होंने लोगों से प्रत्येक दु:खी मानव की सेवा करने का आह्वान किया।

राज्यपाल सोलन में मॉ शूलिनी सेवा दल द्वारा आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि दूसरों की सेवा व मदद करना ही वास्तविक धर्म तथा समाज के प्रति समर्पण है। उन्होंने कहा कि अधिकतर लोग अपने लिए जीते हैं, लेकिन महान व्यक्ति दूसरों के लिये जीते हैं।

आचार्य देवव्रत ने सामाजिक उद्देश्य के लिए मॉ शूलिनी सेवा दल

के कार्य की सराहना की।

मॉ शूलिनी सेवा दल ने राज्यपाल की मौजूदगी में राजकीय प्राथमिक पाठशाला समिति को बैंच तथा स्टूल दान किए।

राज्यपाल ने इस अवसर पर अपने संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया।

इससे पूर्व, मॉ शूलिनी सेवा दल के अध्यक्ष सुशील चौधरी ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा जिले में संस्था द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सामाजिक गतिविधियों का ब्यौरा दिया। अग्रवाल सभा सोलन के उपराष्ट्रपति ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया।

मुख्यमंत्री की रूस के राजदूत से भेंट

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि रूस व हिमाचल प्रदेश में भौगोलिक व सांस्कृतिक जैसी अनेक समानताएं हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के नगर में महान रोरिक द्वारा रोरिक गेलरी स्थापित की गई है जो भारत-रूस मित्रता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि रोरिक न्यास की बैठक शीघ्र आयोजित की जाएगी ताकि इसे और जीवन्त बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि रूस व हिमाचल प्रदेश पर्यटन, कृषि, आपदा प्रबन्धन इत्यादि अनेक क्षेत्रों में सहयोग कर सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रूस व हिमाचल प्रदेश में सांस्कृतिक आदान-प्रदान की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कुल्लू के नगर में स्थित रोरिक गेलरी के विकास के लिए वचनबद्ध है ताकि इसे प्रदेश का पर्यटन गंतव्य बनाया जा सके।

भारत में रूस के राजदूत निकोले आर. कुडाशिवा ने कहा कि रोरिक की विरासत के संरक्षण के लिए दीर्घकालीन कदमों को उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि रूस हिमाचल प्रदेश के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पर्यटन व साहसिक खेलों में सहायता करने का इच्छुक है।

राजदूत की धर्मपत्नी इलीना एम. कुडाशिवा, सांस्कृतिक पार्षद नाना मेगलेज तथा एलेग्जेंडर फारसोव भी इस अवसर पर राजदूत के साथ थे।

मुख्यमन्त्री ने किया शिमला में पहले 35 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारम्भ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला शहर के ग्रिड से जुड़े पहले 35 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारम्भ किया। यह सयंत्र पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्यागिकी विभाग के भवन की छत पर स्थापित किया गया है।

इस अवसर पर अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा पर्यावरण मित्र होने के साथ-साथ कम लागत पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह के ऊर्जा संयंत्रों को न केवल सरकारी प्रतिष्ठानों में बल्कि निजी आवासों में भी स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाई है और अन्य विभागों को भी इस कार्य के लिए आगे आना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के तहत् कार्यालय परिसरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने से न केवल ऊर्जा बचत होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि यह संयंत्र चार-पांच वर्षों के भीतर इसकी स्थापना और इस पर किए गए दूसरे व्ययों की पूर्ति कर लेगा, तदोपरान्त राज्य को राजस्व की भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि यदि सभी सौर ऊर्जा आधारित प्रौद्यागिकी को अपनाते हैं तो ऊर्जा की बचत में योगदान के साथ-साथ पूरी दुनियां की ऊर्जा की मांग को पूरा करने में भी योगदान दे सकते हैं। मुख्यमंत्री को बताया गया कि इस सौर ऊर्जा संयंत्र से मुख्य ग्रिड को फीड किया जाएगा जिससे बिजली की खपत भी कम हो जाएगी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव मनीषा नन्दा ने कहा कि यह संयंत्र 19.23 लाख रुपये की लागत से स्थापित किया गया है और अनुमान के मुताबिक अगले 25 वर्षों में इससे 97 लाख रुपये की बचत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी भवन की छत पर प्रत्येक 1315 वाट क्षमता के 112 सौर पैनल लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कार्यालय परिसर में मुख्य बिजली ग्रिड तथा सौर संयंत्र से ऊर्जा प्रवाह और बहिर्वाह सुनिश्चित करने के लिए दो दिशात्मक मीटर लगाए हैं।

इस अवसर पर पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक डी.सी. राणा और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

उपभोक्ताओं को डिजिटल राशन कार्ड बनवाना अनिवार्य: मदन चौहान

शिमला/शैल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक मदन चौहान ने राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों से राशन कार्डों को डिजिटाईज करवाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पुराने राशन कार्डों के प्रचलन से राशन कार्ड व इसके माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं के दुरूपयोग की सम्भावनाएं बनी रहती हैं। इसके मद्देनजर राज्य की सभी उचित मूल्यों की दूकानों में पॉस मशीनें स्थापित कर दी गई हैं, और भविष्य में राशन की आपूर्ति डिजिटल राशन कार्डों के माध्यम से ही संभव हो पाएगी।

चौहान ने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वस्तुओं के वितरण में खामियों को दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी उचित मूल्य की दुकानों में स्थापित पॉस मशीनों को ऑनलाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन से जोड़ दिया गया है।

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को पॉस मशीनों के माध्यम से राशन प्राप्त हो सकेगा, जिन्होंने अपने राशन कार्ड डिजिटाईज करवाएं हैं। शेष उपभोक्ता जिन्होंने किसी कारणवश अभी तक राशनकार्ड डिजिटाईज नहीं करवाए हैं, की सुविधा के मध्यनजर पुराने राशन कार्डों पर फिलहाल राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है, किन्तु आने वाले समय में इन कार्डों पर राशन उपलब्ध करवाना सम्भव नहीं होगा, क्योंकि सारा राशन पॉस मशीनों के जरिए ही वितरित किया जाना है।

चौहान ने कहा कि राशन कार्ड धारकों को डिजिटाईज राशनकार्ड बनवाने के लिए क्षेत्रीय निरीक्षक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के कार्यालय में उचित मूल्य दूकानधारकों के माध्यम से सम्पर्क करने को कहा है। इसके लिये डिजिटाइजेशन फार्म भरना होगा जो विभागीय वैबसाईट www.epds.co.in पर उपलब्ध है।

राशन कार्ड से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर-1967 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMEN
'NOTICE INVITING TENDERS'

Sealed item rate tenders on form 6&8 are hereby invited by the Executive Engineer, Palampur Division, HPPWD Palampur on behalf of the Governor of H.P for the following work from the approved and eligible contractors enlisted in HP.PWD, (B&R) whose registration stood renewed as per revised rules and also registered under the H.P General Sales Tax Act 1968 so as to reach in his office on or before on 26.05.2018 up to 11.00 AM. And the same shall be opened on the same day at 11.30 A.M. in the presence of intending contractors or their authorized representatives. The tender documents can be had from his office against cash payment (Non-refundable) on 25.05.2018 up to 4.00 P.M and the application for issue of tender form shall be received on 24.05.2018 up to 12.00 noon.
The earnest money in the shape of NSC/FDR/saving account of the Post office/ Bank in H.P duly pledged in favour of the XEN must accompany with each tender. Conditional/ incomplete tenders & tender without earnest money will be summarily rejected. The XEN reserves the right to accept or reject any or all tenders or drop the proposal of tenders without assigning any reasons.

Job No.	Name of Work	Estimated Cost(In Rs.)	Earnest Money	Time Limit	Cost of Tender form
	C/O Jharet Kanya Devi road Km. 0/00 to 5/00. (SW:- Improvement of H/Pin bend at Km. 0/270 to 0/320 and R/Wall at Km. 0/300 to 0/330).	7,75,000/-	15500/-	Three Month	350/-

Terms & Conditions:-
Following documents should accompany the application for tenders.
1. Sale tax No. with latest Sales tax clearance certificate.
2. Valid copy of Registration
3. Machinery will be of the contractor where required.
4. Certificate regarding possession of machinery.
5. Telegraphic/Fax tenders are not acceptable.
6. The tender documents can be received by registered/ Insured post which should be received in this office on or before the date of opening of tender by 11.00 A.M positively.
7. Contractor should have successfully executed two works of similar nature of 1/3 amount of estimated cost or similar single work of amount equal to estimated cost during the last preceding three years
8. The Contractor will have to submit affidavit along with application for issue of tender that he has not more than two works in hand . Next tender will be issued only after completion of previous works in hand.

Adv. No.-0031/17-18 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा

अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना
सीता

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से कर सकते हैं विभागों की निगरानी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, 25 सेवाओं का सीधा लाभ हस्तांतरण तथा आंगनवाड़ियों के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सभी ऐप राज्य के लोगों को प्रभावी, उत्तरदायी तथा जिम्मेदार प्रशासन प्रदान करने में कारगर सिद्ध

होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सभी विभाग सीधे मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से जुड़ेंगे और मुख्यमंत्री को विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, इनके कार्यान्वयन की प्रगति तथा नई पहलों के बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डैशबोर्ड विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की नियमित निगरानी तथा प्रभावी क्रियान्वयन और समयबद्ध पूरा करना सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को उनकी कार्य प्रणाली तथा चल रही परियोजनाओं के अद्यतन के लिए स्वचालन (ऑटोमेशन) को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में राज्य सरकार सुशासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अभी तक मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के साथ 24 से अधिक विभागों की 53 परियोजनाओं का पंजीकरण किया जा चुका है और शीघ्र ही अधिकांश विभाग मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के साथ पंजीकृत हो जाएंगे।

जय राम ठाकुर ने कहा कि अतिरिक्त 25 सेवाओं के लिए सीधा लाभ हस्तांतरण योजना भी लाभार्थियों को लाभान्वित करेगी। योजना के अंतर्गत सभी उपदान तथा सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा रही है। उन्होंने कहा कि सीधा लाभ हस्तांतरण योजना राज्य में 31 सेवाओं के लिए पहले ही कार्यान्वित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल फर्जी लाभार्थियों का पता चलेगा, बल्कि पारदर्शी वित्तीय लेन-देन भी सुनिश्चित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर शुरू की गई आंगनवाड़ी ऐप राज्य में आंगनवाड़ी केन्द्रों की जियो मैपिंग सुनिश्चित करेगी, लाभार्थियों के आंकडे का डिजिटाईजेशन तथा लाभार्थियों को आधार से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश आधार लिकेज के मामले में दिल्ली तथा गोआ के बाद देश का तीसरा राज्य है। उन्होंने कहा कि ऐप न केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रभावी ढंग से कार्य करने, बल्कि उनके देय को सीधे उनके खातों में हस्तांतरित करने में भी मदद करेगी।

मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का इस माह का मानदेय ऐप का बटन दबाकर सीधे उनके खातों में हस्तांतरित किया। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का 100 दिनों का कार्यक्रम भी जारी किया।

कृषि, सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा जनजातीय विकास मंत्री डॉ. राम लाल मारकण्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में राज्य सरकार में कार्यभार संभालते ही यह स्पष्ट कर दिया था कि सुशासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित बनाया जाएगा और शुरू की गई सेवा इस दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने इस वित्त वर्ष के अन्त तक राज्य की सभी पंचायतों को सूचना प्रौद्योगिकी तथा वाई-फाई सेवाएं प्रदान करने के लिए भरपूर समर्थन का आश्वासन दिया है।

सूचना प्रौद्योगिकी के प्रधान सचिव जे.सी. शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए आरम्भ की गई इन तीन सेवाओं के विभिन्न लाभों की जानकारी दी। सूचना प्रौद्योगिकी के निदेशक रोहन चन्द ठाकुर ने कार्यवाही का संचालन किया तथा मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि विभाग मुख्यमंत्री की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए समर्पण तथा प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने किया माँ कार्यक्रम का शुभारम्भ

शिमला/शैल। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नवजात शिशुओं में स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए 'माँ' कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नवजात व शिशुओं में स्तनपान को बढ़ावा देना तथा माता, पति व परिवार के सदस्यों को स्तनपान के लाभ के बारे में शिक्षित करना, माता तथा नवजात शिशु को बेहतर वातावरण प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि स्तनपान अत्यन्त

महत्वपूर्ण है जो शिशु के स्वास्थ्य के लिए माँ की ओर से सर्वोत्तम उपहार है। स्तनपान शिशु मृत्यु दर को कम करने में भी सहायक होता है।

उन्होंने कहा कि जीवन के प्रथम दो वर्षों में बच्चों को पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है जिसे इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से राज्य में स्वस्थ बच्चों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन का नियमित अनुश्रवण करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि माँ कार्यक्रम का मुख्य घटक सामुदायिक जागरुकता, आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से व्यक्तिगत संचार को सुदृढ़ करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और कार्य स्थलों में स्तनपान के लिए सुविधा व उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करवाना है।

प्रधान सचिव स्वास्थ्य प्रबोध सक्सेना ने कहा कि राज्य सरकार इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक नवजात शिशु तथा माँ तक प्रत्येक सुविधा पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि केवल 50 प्रतिशत बच्चों को संस्थागत प्रसव के एक घंटे के भीतर स्तनपान आरम्भ करने का लाभ मिलता है। हिमाचल प्रदेश में केवल 60 प्रतिशत शिशुओं को छः माह तक स्तनपान करवाया जाता है। केवल 40 प्रतिशत शिशुओं को ही छः माह के उपरान्त पूरक आहार प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में यह सुनिश्चित बनाया जाएगा कि शत प्रतिशत लक्षित लाभार्थियों को प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से लाभान्वित करने के लिए प्रेरित किया जाए। माँ कार्यक्रम शिशुओं व युवा बच्चों के पोषण पर स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के प्रशिक्षण पर भी ध्यान केन्द्रित करेगा। राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉ. मंगला सूद ने माँ कार्यक्रम व प्रदेश में लागू करने के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

जानलेवा बीमारियों के बारे जागरुक करने में विधायक निभाएं भूमिका: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल।राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्यों को एचआईवी/एड्स तथा क्षयरोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आगे आना चाहिए ताकि समाज से इन बीमारियों को समाप्त किया जा सके और इन बीमारियों से जुड़े सामाजिक कलंक को दूर किया जा सके। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह बात शिमला के पीटरहॉफ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा विधानसभा सदस्यों के लिए एचआईवी/एड्स तथा क्षयरोग मुक्त हिमाचल अभियान पर आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तपेदिक रोग तथा एचआईवी/ एड्स से जुड़े सामाजिक कलंक को दूर करने के लिए आगे आना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। उन्होंने कहा कि इन बीमारियों के संबंध में विधायक अपने संबंधित क्षेत्रों में जागरूकता उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन बीमारियों के उपयुक्त उपचार व निदान में सामाजिक रूढ़ीवादी मान्यताएं मुख्य बाधा हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को वर्ष 2025 तक क्षयरोग मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि राज्य ने लोगों के समर्थन तथा चिकित्सकों की प्रतिबद्धता के साथ वर्ष 2021 तक हिमाचल प्रदेश को क्षयरोग मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए क्षयरोग के उपचार व निदान से जुड़े सभी तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त एक प्रभावी कार्य योजना बनाना आवश्यक है। इसके अलावा प्रभावी शिक्षा, सूचना तथा संचार कार्यनीति भी तैयार की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेषकर युवाओं में नशाखोरी के प्रचलन पर अंकुश लगाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राय: देखा गया है कि नशाखोरी तथा एचआईवी/एड्स का एक-दूसरे से गहरा संबंध है। उन्होंने कहा कि विशेषकर युवाओं में एचआईवी के जानलेवा प्रभावों तथा इसकी रोकथाम के संबंध में जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए। उन्होंने कहा हालांकि, हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मानक देश के अधिकांश राज्यों से बेहतर हैं, लेकिन बहुत कुछ किया जाना शेष है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि अपेक्षित परिणाम हासिल करने के लिए संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का निचले स्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एचआईवी/एड्स के बारे में व्यापक जन जागरूकता इस बीमारी को फैलने से रोकने में कारगर सिद्ध हो सकती है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल ने कहा कि इन बीमारियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने में विधायक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने विधायकों के लिए इस प्रकार की कार्यशाला क आयोजन के लिए राज्य स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना की।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पर्याप्त प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष के दौरान क्षयरोग उन्मूलन के लिए दो करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि एचआईवी/एड्स के बारे में लोगों की सोच में बदलाव जरूरी है तभी इस बीमारी से जुड़ी सामाजिक भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है।

प्रधान सचिव स्वास्थ्य प्रबोध सक्सेना ने अतिथियों का स्वागत किया।

निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. बलदेव ठाकुर ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए विभाग की विभिन्न गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2021 तक क्षयरोग मुक्त बनाने के लिए विभाग समर्पण तथा प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा।

डॉ. राजेश ठाकुर ने एचआईवी/एड्स के उपचार तथा रोकथाम पर विस्तृत प्रस्तुति दी। क्षयरोग पर भी प्रस्तुति दी गई।

प्रदेश में 12 स्थानों पर शुरू हुई इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पर्यावरण जागरुकता के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 12 नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन का शुभारंभ किया। इन स्क्रीनों को स्थापित करने पर 35 लाख रुपये व्यय किए गए हैं। यह 12 डिस्प्ले स्क्रीन प्रदेश के 12 स्थानों पर स्थापित की जाएंगी, जिनमें से दो-दो स्क्रीन शिमला तथा धर्मशाला शहरों में तथा एक-एक स्क्रीन बद्दी, डमटाल, कालाअम्ब, मनाली, परवाणु, पांवटा साहिब, सुन्दरनगर तथा ऊना में स्थापित की जाएंगी।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संबंधित क्षेत्रों में हवा में मौजूद पीएम-10 नाइट्रोजन ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाएगा। इसके अतिरिक्त, इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीनों पर संबंधित शहरों की पर्यावरण संबंधी जानकारी, जिनमें जल और ध्वनि प्रदूषण, सिविल और जैव चिकित्सा, कचरा प्रबन्धन, जल प्रबन्धन तथा तापमान की जानकारी भी उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्वास्थ्यवर्धक पर्यावरण तथा निगरानी के लिए बोर्ड की इस पहल के प्रयासों की सराहना की।

सरकार का प्रयास, गरीबों का समुचित विकास: अनुराग

शिमला/शैल। अनुराग ठाकुर ने गरीबों और वंचितों के लिए केंद्र सरकार के जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात करते हुए इन योजनाओं को समाजिक परिवर्तन की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम बताया है।

अनुराग ठाकुर ने कहा हमेशा से ही हमारी सरकार का प्रयास गंदगी मुक्त भारत का रहा है और इसी क्रम में स्वच्छ भारत अभियान के तहत अब तक 6 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं, और इस कार्यक्रम की महत्ता और इसकी सफलता को देखते हुए सरकार और 2 करोड़ नए शौचालय बनवाने जा रही है। इतनी भारी संख्या में शौचालय बनने से उन लोगों को भी इसका लाभ मिल पाएगा जो पैसों की कमी के चलते शौचालय नहीं बनवा पाते और उन्हें मजबूरी में खुले स्थानों का प्रयोग करना पड़ता है। सरकार का ये कदम देश को स्वच्छ रखने और सबको सम्मान से जीने का अवसर प्रदान कराएगी।

आगे बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा प्रधानमंत्री विद्युत योजना के तहत गरीब घरों तक मुफ्त बिजली कनेकशन उपलब्ध कराए जाते हैं जिसके तहत इस बार 4 करोड़ घरों तक 16000 करोड़ की राशि से मुफ्त बिजली कनेकशन के जरिए हर गरीब का घर रोशन करने का लक्ष्य है। ग्रामीण भारत में महिलाओं को धुएँ से बचाने के लिए सरकार की उज्ज्वला योजना की सफलता देखते हुए इसे अब पांच करोड़ से बढ़ाकर इसे आठ करोड़ महिलाओं तक ले जाया जाएगा। जिस से हमारे देश की महिलाओं को धुएँ से होने वाली बीमारियों से बचने में मदद मिलेगी।

दण्डनीति के प्रभावी न होने से मंत्रीगण भी बेलगाम होकर अप्रभावी हो जाते है। .....चाणक्य

सम्पादकीय

घातक होगा अदालत के फैसले पर उठा विरोध

जब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में लोग सड़कों पर उत्तर आयें! सर्वोच्च न्यायालय के ही वरिष्ठतम चार जज पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपनी बात को जनता के सामने रखने के लिये विवश हो जायें संसद में विपक्षी दल देश के चीफ जस्टिस के खिलाफ महाअभियोग लाने पर सोचने लग जायें तब निश्चित रूप से यह स्वीकारना ही होगा कि अब सही में ही देश के लोकतन्त्र पर खतरा मंडराने लगा है क्योंकि यह सब देश में इन्ही दिनो घटा है। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार, अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत एक मामला अपील उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील में सर्वोच्च न्यायालय में आया था। सर्वोच्च न्यायालय के दो जजों पर आधारित खण्डपीठ ने इस मामले पर अपना फैसला देते हुए मूल अधिनियम में कुछ संशोधन सुझाते हुए यह प्रावधान कर दिया कि अब इस अधिनियम के तहत आयी शिकायतों पर तुरन्त गिरफ्तारी करने से पहले मामले की जांच कर ली जाये। इस जांच के साथ ही इसमें अन्तरिम जमानत का प्रावधान भी कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से पहले मामलों में जांच और अग्रिम जमानत का प्रावधान नही था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला देने से पहले इसमें केन्द्र सरकार से भी अपना पक्ष रखने को कहा था और केन्द्र ने अपना पक्ष रखा था। केन्द्र ने अपना पक्ष रखते हुए इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रति लचीला रूख अपनाया था जिससे यह संकेत और संदेश गया कि भारत सरकार भी इसमें अब नरम रूख रखती है। इस पृष्ठभूमि में जब यह फैसला आया तो पूरे अनुसूचित जाति और जनजाति समाज में यह संदेश चला गया कि अब उनके खिलाफ अपराध बढ़ सकते हैं। इस समाज के पास ऐसी आशंका के लिये पर्याप्त आधार भी था क्योंकि पिछले दिनो गौ रक्षा आदि के नाम पर इनके खिलाफ ऐसे अपराध घट चुके हैं। इस आशंका के कारण यह समाज इस फैसले के विरोध में सड़कों पर उत्तर आया। यह विरोध कई जगहों पर हिंसक भी हो गया है। अब इस विरोध का विरोध करने के लिये उच्च जातियों के लोग भारत बन्द करने जा रहे हैं। इस बन्द के दौरान पहले से भी ज्यादा हिंसा होने की संभावनाओं की आशंका बनी हुई है।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अनुसूचित जाति एवम् जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर आया है लेकिन इस फैसले को एकदम आरक्षण के आईने में देखा जा रहा है। एकदम आरक्षण समाप्त करने की आवाज़ उठाई जा रही है। केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ रिव्यू याचिका भी दायर कर दी है जिस पर अदालत ने अपने पूर्व के फैसले पर स्टे नही दिया है। सत्तारूढ़ भाजपा के अध्यक्ष अमितशाह ने ब्यान देकर कहा है कि आरक्षण समाप्त नही होगा और किसी को भी समाप्त नही करने दिया जायेगा। अमितशाह के इस ब्यान से यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अन्तिम परिणाम एक बार फिर आरक्षण को लेकर आन्दोलन और एक बड़ी बहस होने जा रहा है क्योंकि जब से केन्द्र में मोदी सरकार आयी है तब से देश के कई राज्यों में आरक्षण को लेकर आन्दोलन सामने आ चुके हैं और हर आन्दोलन में अपने लिये आरक्षण की मांग करते हुए यह साफ कहा है कि यदि उन्हे आरक्षण नही दिया जा सकता तो अन्य का भी आरक्षण समाप्त कर दिया जाये। इसी के साथ संघ नेतृत्व भी आरक्षण पर नये सिरे से विचार करने की बात कर चुका है। स्वयं संघ प्रमुख मोहन भागवत के ब्यान इस संदर्भ में आ चुके हैं। आरक्षण के विरोध में स्व. वीपी सिंह सरकार के समय में यह देश एक बहुत ही भयानक आन्दोलन देख चुका है। उस समय मण्डल आयोग की सिफारिशों के विरोध में आत्मदाह तक हो चुके हैं। मण्डल विरोध का संचालन संघ परिवार के हाथों में उसी तरह था जिस तरह अन्ना आन्दोलन का संचालन संघ परिवार के हाथों में था। वीपी सिंह की सरकार गिरने के साथ ही यह आन्दोलन थम गया था लेकिन आरक्षण अपनी जगह जारी रहा।

आरक्षण विरोध के उस आन्दोलन के बाद केन्द्र में पहली बार भाजपा की इतने बहुमत के साथ सरकार बनी है। भाजपा और संघ पर उन परिवारों का दबाव आज भी बना हुआ हं जिनके बच्चों ने आरक्षण के खिलाफ आत्मदाह किये थे। इसलिये यह स्वभाविक है कि यह लोग तो आरक्षण की समाप्ति चाहेंगे ही। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से वातावरण बन ही गया है क्योंकि इस फैसले से पहले सर्वोच्च न्यायालय की जजों पर आधारित संविधान पीठ इसी अधिनियम के प्रावधानों पर फैसला देते हुए इन्हे जायज ठहरा चुकी है। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय के एक ही विषय पर दो अलग -अलग फैसले होने इन वर्गो को आशकित होने का पूरा माहौल बना हुआ है। आरक्षण विरोधी भी इस फैसले की व्याख्या अपने हितों के मुताबिक करेंगे। इस तरह जो माहौल बन रहा है उससे यह लग रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में आरक्षण एक केन्द्रीय मुद्दा बनकर उभरेगा। जबकि आरक्षण के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय मण्डल आन्दोलन के समय ही इसके क्रिमी लेयर का प्रावधान कर दिया था। यदि इस क्रिमी लेयर का प्रावधान का सही में अनुपालन हुआ होता तो शायद आज आरक्षण को लेकर आन्दोलन तो दूर इस पर शायद चर्चा तक नही होती लेकिन सरकारों ने इसका पालन करने की बजाये हर बार इस लेयर का दायरा ही बढ़ाया, जबकि दूसरी हकीकत यह है कि जब से केन्द्र से लेकर राज्यों तक सरकारे कर्ज के बोझ में हैं और नियमित नौकरीयों की जगह पर कांट्रैक्ट और आऊट सोर्स का चलन कर दिया है तबसे सीधे नौकरीयां रही ही नहीं है और कांट्रैक्ट तथा आऊट सोर्स पर आरक्षण का अनुबन्ध लागू ही नही होता है। ऐसे में आरक्षण को लेकर चलने वाली हर बहस आन्दोलन से सरकारों को ही फायदा होगा क्योंकि कांट्रैक्ट और आऊट सोर्स तो बहस के विषय ही नही बन पायेंगे और शायद सरकार चाहती भी यही है। यह मुद्दा ही इतना बड़ा बना दिया जायेगा कि इसके सामने जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटाना और यूनिफाईड सिविल कोड लाने जैसे सारे वायदे इसमें दब जायेंगे।

नए भारत के सपने को साकार करने के लिये नए विचार अनिवार्य : उपराष्ट्रपति

भारत के उप–राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि नए भारत का सपना केवल नवीन विचारों तथा उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिये नए तरीकों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नया भारत एक वैज्ञानिक भारत होगा, एक तकनीकी भारत होगा।

वह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) हमीरपुर के सभागार में कैरियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर द्वारा आयोजित 9वीं भारतीय युवा कांग्रेस के उद्घाटन अवसर पर संबोधित कर रहे थे।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि विज्ञान कांग्रेस जैसे मंच युवा दिमाग को ज्ञान, सूचना को सांझा करने तथा नए विचारों के साथ प्रेरणा प्राप्त करने में सक्षम होंगे, जो भविष्य के भारत को शक्ति प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को जबाब देने के बजाय 'खोज' को लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

श्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि विज्ञान पाठयक्रम का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण सबूतों पर निर्भर करता है तथा प्रासंगिक प्रश्नों को उठाता है और जवाब मांगता है, वह आंतरायिक होना चाहिए। उन्होने कहा कि सम्मेलन हमारे युवाओं के मध्य वैज्ञानिक सोच के माध्यम से और उन्नति तथा विकास में मदद करेगा।

उन्होंने पर्यावरण संरक्षण तथा हरित आवरण बढ़ाने के क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोग अपने दृष्टिकोण तथा कार्य में सुंदर व निपुण हैं और उनसे इस परम्परा को जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी मां, अपनी मातृ भूमि तथा मातृ भाषा को कभी नही भूलना चाहिए। उन्होंने लोगों से सद्भाव से तथा प्रकृति के साथ रहने का आग्रह किया।

इस अवसर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि भारत प्राचीन समय से ज्ञान की भूमि रही है तथा वैदिक विश्वमण्डल में एक मात्र ऐसा था जिसकी समय सीमा आधुनिक वैज्ञानिक ब्रह्माण्ड विज्ञान के साथ मेल खाती है। उन्होंने कहा कि भारतीय पारम्परिक ज्ञान को कायम रखते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना समय की आवश्यकता है।

राज्यपाल ने कहा कि मानवतावादी विचारों तथा मानवीय स्पर्श के बगैर वैज्ञनिक दृष्टिकोण अप्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग चिंता का विषय है। उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिये वैज्ञानिकों को आगे आने का आग्रह किया। उनहोंने कहा कि आज की सभी बीमारियां हमारी बुरी जीवनशैली के कारण हैं। उन्होंने कहा कि खेती में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनशाकों का अत्यधिक प्रयोग न केवल हमारी भूमि को बंजर बना रहा है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य को भी बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। उन्होने कहा कि प्राकृतिक कृषि इस सबका समाधान है और वैज्ञानिकों से इसके प्रोत्साहन का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी, बल्कि हमारे स्वास्थ्य संस्थानों की भीड़ को भी कम करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने युवा कांग्रेस को सम्बोधित करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन हमारे अस्तित्व के लिए गम्भीर चुनौती है और वैज्ञानिकों को इस समस्या के समाधान के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को 'देव भूमि' के नाम से जाना जाता है और केरियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों ने राज्य को देश का 'शिक्षा हब' बनाने में मदद की है। उन्होने कहा कि आज के इस वैज्ञानिक युग में भारत को इस क्षेत्र में अग्रणी बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होने कहा कि वैज्ञानिक नवोन्मेश के इस दौर में हमें अपने प्राचीन ज्ञान की अनदेखी नहीं करनी चाहिए और न इसका त्याग करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के लोगों को नए भारत के निर्माण के लिए एकजुट होकर काम करने का आहवान किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री ने नवोन्मेश, स्टार्टअप तथा युवाओं के कौशल विकास को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया है।

जय राम ठाकुर ने युवाओं में रचनात्मकता पर बल देते हुए कहा कि युवाओं को राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को न केवल नौकरी प्राप्त करने वाले, बल्कि नौकरी प्रदाता बनाने के उद्देश्य से उनके कौशल उन्नयन पर विशेष बल दे रही है। उन्होने कहा कि राज्य सरकार स्टार्टअप तथा नवीन परियोजनाओं पर बल दे रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को आशावादी होना चाहिए और निराशा से दूर रहना चाहिए। उन्हें सच्चाई तथा ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि एक सच्चे वैज्ञानिक के लिए यह अनिवार्य है। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों से लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए कार्य करने का आग्रह किया। उन्होने कहा कि भारतीय युवा कांग्रेस, देश में विज्ञानिक सोच उत्पन्न करने तथा विज्ञान एवं तकनीकी को बढ़ावा देने में मद्दगार सिद्ध होगी।

अपने सम्बोधन में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा कि देश की उन्नति तथा मानवीय विकास के लिए वैज्ञानिकों को प्रभावी एवं सत्त समाधान विकसित करने के लिए शोध में परम्पराओं तथा स्थानीय ज्ञान, पद्धति एवं तकनीक को शामिल करने में मद्द करनी चाहिए। उन्होंने, विशेषकर युवा पीढ़ी में खून की कमी के बढ़ते मामलों पर चिन्ता जाहिर की। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों से इस क्षेत्र में शोध कर शीघ्र समस्या के समाधान के लिए आगे आने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और राष्ट्र के सम्पूर्ण स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों को चरणबद्ध ढंग से वैलनेस केन्द्रों में परिवर्तित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 तक देश में 1.50 लाख स्वास्थ्य वैलनेस केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि हमारे देश की 60 प्रतिशत से अधिक की आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की है और यह उम्र खोज करने तथा सपनों की है। उन्होंने कहा कि युवाओं की गुणात्मकता राष्ट्र के भविष्य को निर्धारित करती है।

प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं भारत में हरित क्रान्ति के जनक पदम विभूषण प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपने सम्बोधन में कहा कि युवा वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। उन्होने पर्यावरण संरक्षण में हिमाचल प्रदेश के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने खाद्य सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के शासन में सुधारों के लिए 'सामूहिक प्रयासों' की आवश्यकता पर बल दिया।

केरियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. पी.एल. गौतम ने कहा कि पहली युवा कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2009 में किया गया था। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भारतीय युवा कांग्रेस का थीम 'नए भारत के विकास में युवा वैज्ञानिकों की भूमिका' है।

इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस की स्मारिका का विमोचन भी किया गया।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, सांसद अनुराग ठाकुर, विधायक नरेन्द्र ठाकुर, एम.एस.एस.आर. एफ के कार्यकारी निदेशक डॉ. वी. सैल्बम, एस.आर.एम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रो. सत्यानारायणन भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय

दीनदयाल अंत्योदय योजना–आजीविका के विविध स्रोतों को प्रोत्साहन देना

शिमला/पीआईबी। दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों की स्थापना करना तथा इसके माध्यम से ग्रामीण गरीबी समाप्त करना तथा आजीविका के विविध स्रोतों को प्रोत्साहन देना है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम को राज्यों के सहयोग से लागू किया गया है। इस मिशन को 2011 में लॉच किया गया था। पिछले तीन वर्षों में इस मिशन का तेजी से विस्तार हुआ है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 820 अतिरिक्त प्रखंडों को इस योजना से जोड़ा गया है। यह मिशन 29 राज्यों और 5 केन्द्र शासित प्रदेशों के 586 जिलों के अंतर्गत 4,459 प्रखंडों में लागू किया गया है।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पूरे देश में 6.96 लाख स्व्वयं-सहायता समूहों के माध्यम से 82 लाख परिवारों को जोड़ा गया। 40 लाख स्वयं-सहायता समूहों के माध्यम से 4.75 करोड़ महिलाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ा गया। इन सामुदायिक संस्थानों को 4,444 करोड़ रुपये की धनराशि परिव्यय हेतु आर्वटित की गई।

वित्तीय समावेश रणनीति के तहत मिशन, एसएचजी को बैंक ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त सेवा विभाग तथा भारतीय बैंक महासंघ के साथ मिलकर कार्य करता है। एसएचजी को दिया जाने वाला ऋण जो वित्त वर्ष 2013-14 में 22,238 करोड़ रुपये था, बढ़कर फरवरी, 2018 में 64,589 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले पांच वर्षो के दौरान स्वयं-सहायता समूहों-एसएचजी को कुल मिलाकर 1.55 लाख करोड़ रुपये का बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया है। मिशन प्रारंभ होने के पूर्व बैंकों का फंसा कर्ज (एनपीए) 23 प्रतिशत था, जो चालू वर्ष में घटकर 2.4 प्रतिशत हो गया।

वित्तीय सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक उपलब्ध कराने में भी मिशन को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। स्वयं-सहायता समूहों के 1518 सदस्यों को बैंक एजेंट के रूप में कार्य करने का मौका दिया गया है। ये एजेंट वित्तीय सेवा जैसे धनराशि जमा करना या निकालना, पेंशन, छात्रवृत्ति का भुगतान करना, मनरेगा पारिश्रमिक का भुगतान करना आदि उपलब्ध कराते है। फरवरी, 2018 तक 1.78 लाख स्वयं-सहायता समूहों के सदस्यों ने इन बैंक एजेंटों के माध्यम से 8.9 लाख लेनदेन के कार्य किये, जिनका मूल्य 187.92 करोड़ रुपये है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिला स्वयं सहायता समूहों को ब्याज भुगतान में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। इससे ऋण का ब्याज भुगतान सात प्रतिशत प्रति वर्ष हो जाता है। इसके अलावा 250 जिलों में समय पर ऋण भुगतान की स्थिति में ब्याज में तीन प्रतिशत की अतिरिक्त कमी की जाती है। इससे प्रभावी ब्याज दर चार प्रतिशत वार्षिक हो जाती है। ब्याज भुगतान में आर्थिक सहायता के तौर पर कुल 2,324 करोड़ रुपये की धनराशि का परिव्यय किया गया है।

कृषि-पर्यावरण गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मिशन ने महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना लागू किया है, जो महिला किसानों की आमदनी को बढ़ाएगा और कृषि लागत तथा जोखिम में कमी लाएगा। इस योजना के तहत 33 लाख महिला किसानों को सहायता उपलब्ध कराई गई हैं (मार्च-2018)। मूल्यवर्द्धन गतिविधियों के अंतर्गत कृषि, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन, वन उत्पाद (गैर-काष्ठ) आदि को शामिल किया गया हैं। छोटे और सीमांत किसानों द्वारा उगाये जाने वाली फसल जैसे मक्का, आम, फूल की खेती, डेयरी आदि को मूल्यवर्द्धन गतिविधियों में शामिल किया गया है। फरवरी-2018 तक 1.05 लाख स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को इन गतिविधियों से जोड़ा गया है।

मिशन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है-समुदाय आधारित कार्यान्वयन। इसके लिए 1.72 लाख सामुदायिक सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि वे सामुदायिक संस्थानों को सहायता प्रदान कर सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रम में लेनदेन का हिसाब रखने, क्षमता निर्माण करने, वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया हैं। इसमें 22 हजार सामुदायिक आजीविका संसाधान व्यक्ति जैसे कृषि सखी, पशु सखी शामिल हैं, जो चौबीसों घंटे सेवा उपलब्ध कराते है।

गैर कृषि आजीविका रणनीति के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम तथा आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना लागू कर रही है। एसवीईपी का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उद्यम स्थापित करने के लिए ग्रामीण उद्यमियों की सहायता करना है। इस योजना के तहत 17 राज्यों में लगभग 16,600 उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है। इससे 40 हजार लोगों को रोजगार मिला है।

आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना को अगस्त 2017 में लॉच किया गया था। इसका उद्देश्य सुदूर गांवों को ग्रामीण परिवहन व्यवस्था से जोड़ना है। मार्च 2018 तक 17 राज्यों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और 288 वाहन संचालन में हैं।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की उपयोजना है-दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। इस उपयोजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें अधिक वेतन वाले रोजगार दिलाना है।

वित्त वर्ष 2017-18 में 1.28 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया और इनमें से 69,320 युवाओं को बेहतर पारिश्रमिक वाले स्थानों पर रोजगार मिला। जो ग्रामीण युवा प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण करना चाहते है, उनके लिए कौशल पंजी नाम का ऐप विकसित किया गया है। 31 मार्च, 2018 तक 7.56 लाख युवाओं ने इस ऐप के द्वारा अपना नामांकन किया है।

ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मिशन ने 31 बैंकों तथा राज्य सरकारों के साथ समझौता किया है। इसके तहत ग्रामीण स्वयं रोजगार संस्थानों को सहायता प्रदान की जा रही है। वर्तमान में मिशन 586 ऐसे संस्थानों की मदद कर रहा है। ये संस्थान 28 राज्यों और चार केन्द्र शासित प्रदेशों के 566 जिलों में स्थित हैं। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 4.23 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, इनमें से 3.34 लाख युवा रोजगार पाने में सफल रहे। अपना उद्यम स्थापित करने के लिए 1.52 लाख युवाओं को बैंक ऋण प्राप्त हुआ। 8911 युवाओं को पीएम मुद्रा योजना के तहत ऋण मिला। आरएसईटीआई के अंतर्गत प्रशिक्षण पाने वाले कुल युवाओं में 60 प्रतिशत महिलाएं हैं। 2017-18 में 26 आरएसईटीआई ने अपने भवनों का निर्माण कार्य पूरा किया हैं।

ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आणंद को डीएवाई-एनआरएलएम की डिजाइन, रणनीति और प्रभाव स्वतंत्र आकलन का जिम्मेदार दी गई थी। इसके अध्ययन के रूप में जनवरी से मार्च 2017 के बीच हुए सर्वेक्षण में 746 गांवों के करीब 4500 घरों को शामिल किया गया था।

नियंत्रित क्षेत्र की तुलना में अधिक पशुधन थे। गैर मिशन वाले गांवों के घरों की तुलना में मिशन वाले गावों के प्रत्येक घर में औसतन 2.34 से ज्यादा उत्पादक पशुधन थे। औपचारिक संस्थानों में बचत जमा करने की प्रवृति ज्यादा थी। अधिक कर्ज लिए जाते थे (नियंत्रित क्षेत्रों की तुलना में 67% अधिक) और ज्यादातर औपचारिक वित्तीय संस्थानों से कर्ज लिए जाते थे, एलआरएलएम चिन्हित लोग कम ब्याज देते थे

नियंत्रित क्षेत्रों के घरों की तुलना में 22% अधिक आय होती थी, ज्यादातर उपक्रमों से होने वाली आय की वजह से। गैर-एनआरएलएम गांवों की तुलना में प्रत्येक एनआरएलएम में औसतन 11 उपक्रम होते थे।

एनआरएलएम घरों के लोग अपने समकक्षों की तुलना में 3 गुना अधिक भागीदारी करते थे। वित्त वर्ष 2018-19 में मिशन 750 अतिरिक्त प्रखंडों में अपनी गतिविधि का विस्तार करना चाहता है। वित्त वर्ष के दौरान 9 लाख स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत 100 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्ष्य 5 लाख महिला किसानों को कृषि आजीविका की योजनाओं से जोड़ना है। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मिशन 75 हजार स्वयं सहायता समूहों के सदस्य परिवारों को सहायता प्रदान करेगा। 1,000 गांवों में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त 25,000 उद्यमियों को सहायता प्रदान करेगा। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत 17 राज्यों में 1,500 वाहनों को संचालित करने की योजना है।

कृषि उत्पादों तथा स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विक्रय के लिए हाट का विकास महत्वपूर्ण है। मनरेगा की सहायता से गांवों तथा प्रखंड स्तर पर हाटों की स्थापना की जाएगी। हाटों का रखरखाव एक समिति को सौंपा जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूह, पंचायती राज संस्थान तथा स्थानीय सरकारी अधिकारी इस समिति के सदस्य होंगे।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान पूरे देश में 4,567 ग्रामीण हाट स्थापित करने की योजना है। औपचारिक वित्तीय संस्थान तक ग्रामीण गरीबों की पहुंच सुनिश्चित करना, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 22 लाख स्वयं सहायता समूहों को 42,500 करोड़ रुपये का बैंक ऋण उपलब्ध कराने की योजना है।

ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ने में मदद मिलेगी।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम

शिमला/पीआईबी। अब तक 14 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 406 जिलों की 18,578 ईडब्ल्यूआर को प्रशिक्षित किया गया है, प्रशिक्षण का लक्ष्य ईडब्ल्यूआर का विकास 'परिवर्तनकारी एजेंटों' के रूप में करना है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 'पंचायती राज की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम' पर एक परियोजना क्रियान्वित कर रहा है। यह परियोजना भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यरत एक स्वायत्त निकाय 'राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी)' द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

दो स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए ईडब्ल्यूआर को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रथम चरण में पंचायती राज संस्थानों की ईडब्ल्यूआर और संसाधन व्यक्तियों/मुख्य प्रशिक्षकों (मास्टर ट्रेनर) के लिए एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम 27 नवम्बर, 2017 को आयोजित किया गया था। दूसरे चरण में प्रशिक्षण इन्हीं मुख्य प्रशिक्षकों के जरिये प्रदान किया जा रहा है। अब तक 424 मुख्य प्रशिक्षक 14 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 406 जिलों की 18,578 ईडब्ल्यूआर को प्रशिक्षण प्रदान करने में समर्थ रहे हैं। यह कार्यक्रम 'महिला विकास से महिलाओं के नेतृत्व में विकास' की ओर देश को उन्मुख करने संबंधी प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने में काफी मददगार साबित होगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह परियोजना शुरू की थी कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित स्थानीय गवर्नेंस में ईडब्ल्यूआर की व्यापक मौजूदगी होने के बावजूद ईडब्ल्यूआर की भूमिका अप्रभावी रही है। इसके तहत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए ईडब्ल्यूआर के नेतृत्वकारी गुणों एवं प्रबंधन कौशल को बेहतर करते हुए ईडब्ल्यूआर का विकास 'परिवर्तनकारी एजेंटों' के रूप में करने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए देश भर में आयोजित किए जा रहे सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत महिला-पुरुष के समान प्रशिक्षण पर विस्तार से फोकस नहीं किया जाता है और इस तरह के कार्यक्रम जमीनी स्तर पर इन महिला प्रतिनिधियों के समक्ष उत्पन्न होने वाली विशिष्ट चुनौतियों को समाप्त करने के मामले में उनकी जरूरतों पर खरे नहीं उतरते हैं। देश भर में फिलहाल 14 लाख से भी अधिक ईडब्ल्यूआर हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों, विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों (राज्य एवं केन्द्र), ईडब्ल्यूआर के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), सहभागिता नियोजन एवं परिसंपत्ति सृजन, सार्वजनिक कार्यों की निगरानी और नेतृत्वकारी गुणों से संबंधित प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए हैं। इन अग्रणी जमीनी प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण की इस लक्षित अवधारणा की परिकल्पना और भी अधिक अपेक्षित विकास परिणाम हासिल करने के उद्देश्य से की गई है। इससे पंचायतों की महिला सदस्यों एवं प्रमुखों को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी, ताकि वे गांवों की गवर्नेंस और भी ज्यादा कारगर ढंग से कर सकें।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

दसवीं कक्षा की गणित की परीक्षा दोबारा नहीं होगी: सीबीएसई

शिमला/पीआईबी। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि दसवीं कक्षा की गणित की परीक्षा दिल्ली-एनसीआर तथा हरियाणा में दोबारा नहीं होगी। इसलिए दसवीं कक्षा की गणित की पुनर्परीक्षा देश के किसी भी हिस्से में नहीं होगी। इससे पहले 30 मार्च, 2018 को सीबीएसई ने एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि यदि जांच के बाद आवश्यक हुआ तो दसवीं कक्षा की गणित की परीक्षा दिल्ली-एनसीआर तथा हरियाणा में दोबारा होगी।

बोर्ड ने कहा है कि आंतरिक जांच तथा उपलब्ध प्रपत्र/सामग्री के विश्लेषण और पुलिस जांच से मिली जानकारी इंगित करते है कि पेपर लीक कुछ ही छात्रों तक सीमित था। दसवीं कक्षा की गणित की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किसी असामान्य पैटर्न या अंकों की असामान्य बढ़ोतरी नहीं दर्शाता है। इससे पता चलता है कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है। बोर्ड के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि सोशल मीडिया पर जाली प्रश्न पत्र अपलोड किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य छात्रों, अभिभावकों और विद्यालयों में घबराहट फैलाना है।

गणित परीक्षा की अनिश्चितता को लेकर विभिन्न हितधारक बोर्ड के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं। इसके अतिरिक्त बोर्ड के हेल्पलाइन डेस्क पर गणित की पुनर्परीक्षा से संबंधित 1000 से ज्यादा फोन आए हैं।

छात्र हित को सर्वाधिक महत्व देते हुए बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि दसवीं कक्षा की गणित की पुनर्परीक्षा दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में आयोजित नहीं की जाएगी। पेपर लीक मामले में जांच के पश्चात् जो दोषी पाए जाएंगे उन पर सीबीएसई परीक्षा के उप नियमों के अनुसार कारवाई की जाएगी।

सर्वाधिक अपव्ययकारी रहा केन्द्र का यह बजट सत्र

डॉ. हनुमंत यादव

सत्तारूढ़ दल के प्रस्तावों तथा व पीठासीन अधिकारी के निर्णय से सहमत नही हैं तो वे सदन से बर्हिगमन कर सकते हैं या पूरे सत्र का बहिष्कार करके अपना विरोध व्यक्त कर सकते हैं। वे रैली आयोजित करके या जंतर – मंतर पर धरना देकर आम जनता का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं । किन्तु अपनी बात मनवाने के लिए पूरे सदन का समय अपव्यय करने का अधिकार उन्हें नहीं हैं।

आंग्ल दैनिक फायनेंशियल एक्सप्रेस ने 6 अप्रैल को समाप्त हुए मौजूदा बजट सत्र को समय एवं धन के अपव्यय तथा निम्न उत्पादकता के लिहाज से इस दशक का सबसे खराब सत्र करार दिया है। लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में ही कुछ क्षेत्रीय दलों के सांसदों द्वारा किए जाने वाले नियमित हंगामे के कारण लोकसभा में कामकाज की उत्पादकता मात्र 25 प्रतिशत तथा राज्यसभा में उत्पादकता 35 प्रतिशत रही, जबकि 2017 के बजट सत्र में लोकसभा में कामकाज की उत्पादकता 108 प्रतिशत तथा राज्यसभा में उत्पादकता 86 प्रतिशत रही थी। यद्यपि पिछले साल संसद में नोटबंदी का मुद्दा काफी गरमाया हुआ था फिर भी लोकसभा में निर्धारित कामकाज के घंटों से अधिक समय तक बैठकर सदस्यों ने कामकाज निपटाया था। मौजूदा बजट सत्र में हंगामे के कारण कामकाज नहीं हो पाने के कारण इस सत्र के आयोजन में हुए कुल खर्च के आधार पर भारतीय करदाताओं के 190 करोड़ रुपए बर्बाद हुए हैं। अनेक सांसद बहस में हिस्सा लेने के लिए पूरी तैयारी से आते थे किन्तु हंगामे के कारण पीठासीन अधिकारियों द्वारा सत्रवसान कर दिए जाने से वे बोलने से वंचित रह जाते थे।

संसद के दोनों सदनों में हंगामे के कारण कामकाज न होने देने के लिए भाजपा द्वारा कांग्रेस दल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जबकि कांग्रेस दल द्वारा कहा जा रहा है कि 15वीं लोकसभा में 357 बैठकों के लिए निर्धारित 1344 घंटों में से भाजपा द्वारा 2 – जी और कोयला आबंटन घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल आदि के नाम से अवरोध और स्थगन के कारण 891 घंटे अर्थात संसद का दो तिहाई समय बर्बाद किया गया। यह तो कांग्रेस दल के लिए विचार का विषय है कि यदि विराधी दल के रूप में भाजपा ने संसद में हंगामा करके अशालीन या हंगामा करके समय बर्बाद किया है तो कांग्रेस दल से भाजपा की नकल करके उसके पदचिन्हों पर चलकर गलत कार्य करने की बजाय स्वस्थ परंपरा की अपेक्षा थी। देखा जाये तो दोनों ही दल संसद का कीमती समय नष्ट करने के लिए बराबर के जिम्मेदार हैं। यही कारण है कि भाजपा व कांग्रेसनीत गठबंधन से जुड़े सांसदों के संसद में व्यवहार से व्यथित राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने 6 दिसंबर 2016 को सांसदों को संबोधित करते हुए कहा था कि आप चुनकर संसद में कामकाज के लिए आते हैं इसलिए संसद अवरूद्ध करने की बजाय भगवान के लिए संसद में कामकाज करें।

संसद में अवरोध से कार्य दिवसों के नुकसान में निरन्तर वृद्धि हो रही है। 11 वीं लोकसभा में अवरोधों के कारण मात्र 45 घंटों तथा 12वीं लोकसभा में 68 घंटों का नुकसान हुआ था। कामकाज का नुकसान 13वीं लोकसभा में कई गुना बढ़कर 454 घंटे तथा 14वीं लोकसभा में 423 घंटे का नुकसान हुआ था। 15 वीं लोकसभा में भाजपा द्वारा 2 – जी और कोयला आबंटन घोटाला, आदर्श सोसायटी, राष्ट्रमंडल खेल आदि के नाम से संसद की कार्यवाही बाधित किए जाने के कारण 891 घंटे का संसद का कीमती समय बर्बाद हुआ। अभी 16वीं लोकसभा का कार्यकाल एक साल बचा हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से गिनती के क्षेत्रीय दलों के मुट्ठी भर सांसद हर दिन व्यवधान उपस्थित करके संसद का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि 16वीं लोकसभा समय, धन व उत्पादकता की बर्बादी का कीर्तिमान स्थापित करेगी। संसदीय कार्यमंत्री पवनकुमार बंसल द्वारा 2012 में संसद में लिखित उत्तर में जानकारी दी गई थी कि संसद की हर दिन की बैठक में प्रति मिनिट 2.5 लाख रुपये खर्च होते हैं। अब तो सांसदों के वेतन एवं भत्ते सभी बढ़ चुके हैं, वर्तमान में संसद में बैठक में प्रति मिनिट लगभग 3 लाख रुपए खर्च हाने लगे हैं।

सांसदों को सदन में अपनी बात कहने की पूरी आजादी रहती है। अपने राज्य के बहुत गंभीर मुद्दों वे संसद की बैठक के पहले अन्य दलों के नेताओं को समझाकर विश्वास में लेकर संसद में उठाने को पूर्ण स्वतंत्र रहते हैं। सत्तारूढ़ दल के प्रस्तावों तथा व पीठासीन अधिकारी के निर्णय से सहमत नहीं हैं तो वे सदन से बर्हिगमन कर सकते हैं या पूरे सत्र का बहिष्कार करके अपना विरोध व्यक्त कर सकते हैं। वे रैली आयोजित करके या जंतर – मंतर पर धरना देकर आम जनता का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। किन्तु अपनी बात मनवाने के लिए पूरे सदन का समय अपव्यय करने का अधिकार उन्हें नहीं है। मौजूदा बजट सत्र में पीएनबी नीरव मोदी घोटाले या दलित उत्पीड़न को लेकर संसद में हुआ हंगामा तो समझ में आता है किन्तु आंध्राप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग लेकर क्षेत्रीय दलों के सांसदों द्वारा हर दिन तख्तियों लेकर सदन में आकर हंगामा कर संसद का कामकाज रोकने को निंदनीय कृत्य कहा जा सकता है। इस कृत्य के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों को हर दिन सत्रवसान करने की बजाय दो या तीन दर्जन विघटनकारी सदस्यों को सदन से निलंबित करके सदन को सुचारू रूप से चलाया जाना चाहिए था।

लोकसभा की कार्यवाही नियमावली के नियम 373, 374, 374, तथा 375 के तहत लोकसभाध्यक्ष को सदन गरिमामय ढंग से संचालन के लिए पर्याप्त अधिकार मिले हुए है। मौजूदा बजट सत्र में लोकसभाध्यक्ष सुमित्र महाजन ने नियम 375 के तहत हर दिन सदन स्थगित करने या सदन निलंबन करने के अधिकार का ही प्रयोग किया, जबकि नियम 375 के अंतर्गत ही लोकसभाध्यक्ष को सदन में व्यवधान करने वाले सदस्य को निलंबन का अधिकार भी दिया गया है जिसका उन्होंने प्रयोग नहीं किया। नियमानुसार सदन में सदस्यों को नारे लिखी हुई तख्तियां लाने का अधिकर नहीं है जबकि तेलगु देशम के सभी 15 सदस्य हर दिन नारों की तख्तियां लेकर सदन में बेरोक – टोक आते थे। नियम 374 के तहत स्पीकर द्वारा यदि किसी सदस्य को सदन से बाहर जाने के लिए आदेशित किया जाता है तो उस सदस्य को सदन से बाहर जाना ही पड़ेगा अन्यथा मार्शल द्वारा उन्हें बाहर कर दिया जाता है। अनेक दबंग लोकसभाध्यक्ष सदन के गरिमामय संचालन हेतु अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए व्यवधानकारी सदस्यों को निलंबित करते रहे हैं। लोकसभाध्यक्ष सुमित्र महाजन हंगामा करने वाले सदस्यों को निलंबित करके सदन को सुचारू रूप से चलाने की बजाय हर दिन सदन स्थगित करने या सदन निलंबन के अधिकार का प्रयोग किया। इस प्रकार लोकसभाध्यक्ष सुमित्र महाजन को भी संसद के मौजूदा सत्र के समय व धन की बर्बादी तथा कामकाज की निम्न उत्पादकता के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है।

संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार के अनुसार संसद में हंगामे के कारण कामकाज न होने का विरोध करते हुए एनडीए के सदस्यों द्वारा 23 दिनों का वेतन व भत्ते नहीं लेने का फैसला किया गया है। यदि अनंत कुमार एनडीए के नाम से झूठी किस्म की वाहवाही लूटने वाली इस घोषणा की बजाय संदन में आंध्रप्रदेश की तख्तियां सदन में लेकर नारे हंगामा कर सदन का समय बर्बाद करने वाले सदस्यों के वेतन एवं भत्तों में कटौती का प्रस्ताव रखते तो अधिक उचित होता।

With Best Compliments

From-!!!

M/S HINDUSTAN REMEDIES

PARWANOO (HP)

Leading Govt. Suppliers for:- Hindustan Remedies

हिन्दुस्तान रेमिडिज़

HIG-41-A, Sector 1, PARWANOO-173220 (H.P.)

(M): 094170-47757, 0172-4567757, E-mail : hindremedies@gmail.com

विकास की राह पर शिखर की ओर हिमाचल

नई सोच नई पहल के सौ दिन

प्रमुख उपलब्धियाँ

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं मालिक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

सचेतकों को मन्त्री का दर्जा देने से जयराम पर चल रहा दबाव आया खुलकर सामने

शिमला/शैल।मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर की सरकार ने अपने पहले ही बजट सत्र के अन्तिम दिन सचेतक को मन्त्री का दर्जा और उसी

के समकक्ष वेतन भत्ते और सुविधायें देने का विधेयक पारित किया है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह विधेयक लागू हो जायेगा और इसके बाद भाजपा के दो विधायकों को मन्त्री का दर्जा मिल जायेगा जिन्हें जयराम मुख्य सचेतक और उपमुख्य सचेतक नियुक्त करेंगे। मुख्य सचेतक को पूरे मन्त्री और उपमुख्य सचेतक को राज्य मन्त्री का दर्जा प्राप्त हो जायेगा। हिमाचल प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ हैं कांग्रेस और माकपा ने इसका सदन में विरोध भी किया। कांग्रेस ने तो इसमें संशोधन भी रखा था जिसे वापिस ले लिया गया। भाजपा के पास सदन में अपना बहुमत है इसलिये इस विधेयक का पारित होना स्वभाविक था। इस विधेयक के लागू होने के बाद जिन विधायकों को मुख्य और उप मुख्य सचेतक नियुक्त किया जायेगा वह ''लाभ के पद'' के दायर में आयेंगे या नही यह तो अन्ततः उच्च न्यायालय से ही स्पष्ट हो पायेगा जब यह मामला अदालत मे पंहुचेगा।

सदन में संसदीय कार्यमन्त्री सुरेश भारद्वाज ने केवल यही तर्क दिया कि देश के कई अन्य राज्यों में भी ऐसी व्यवस्था है इसलिये हिमाचल में भी इसे ला दिया गया। संसद में 1998 में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नेता और उनके द्वारा नियुक्त किये गये सचेतकों को क्या सुविधायें दी जानी चाहिये इस आश्य का बिल आया था। 1999 में यह पारित हुआ तथा 2000 से लाग हो गया है। इसमें कुछ संशोधन भी हुए है। लेकिन इस विधेयक या इसके तहत बने और पारित हुए नियमो में इन्हे मन्त्री के बराबर का दर्जा नही दिया गया है। भारत में सचेतक की प्रथा ब्रिटिश शासन से ली गयी है। इसमें सचेतक को इस तरह परिभाषित किया गया है Every major political party appoints a whip who is responsible for the party's discipline and behaviour on the floor of the house. Usually, he /she directs theparty members to stick to the party's stand on certain issuesand directs them to vote as per the directions of the senior party members . इससे स्पष्ट हो जाता है कि सचेतकों का काम अपनी-अपनी पार्टी के विधायक दलों के प्रति ही है। दल बदल निरोधक कानून बन जाने के बाद सचेतक के निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबधित सदस्य के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कारवाई की जा सकती है यदि दल चाहे तो। दल की ईच्छा के बिना यह कारवाई नही हो सकती है। इससे और भी स्पष्ट हो जाता है कि सचेतक की सारी भूमिका अपने दल तक ही सीमित हैं इसमें यह भी अनिवार्य नही है कि मान्यता प्राप्त दल को सदन के अन्दर सचेतक नियुक्त करना ही होगा वरना उसके खिलाफ कोई कारवाई हो सकती है। इस तरह सचेतक विधायक दलों का अन्दरूनी मामला है इस परिदृश्य में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि क्या कोई राजनीतिक दल चाहे वह सत्तारूढ़ ही क्यों न हो सरकार के पैसे से अपनी पार्टी का काम करवा सकता हैं।क्योंकि सचेतक विधानसभा या सरकार का अधिकारी नही है। सचेतक पद का सजृन सरकार या विधासभा नही करती है। क्योंकि किसी पद का सजृन करना और किसी व्यक्ति को कोई मान सम्मान देना दो अलग-अलग स्थितियां है।

ऐसे में सवाल उठता है कि जयराम सरकार को इतने बड़े बहुमत के वाबजूद इस तरह का आचरण क्यों करना पड़ा है। भाजपा पर तो संघ का अनुशासन है जिसके चलते कोई भी विधायक पार्टी की लाईन से बाहर जाने की सोच ही नही सकता। शान्ता कुमार और शत्रुघन सिन्हा जैसे कम ही लोग हैं जो पार्टी की कुछ नीतियों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिक्रियांए दे रहे है। इन लोगों का राजनीतिक कद जयराम के विधायकों से कहीं बड़ा है। इस स्थिति के होते भी जयराम को यह कदम उस समय उठाना पड़ा जबकि वह इसी सदन में अबतक संसदीय सचिव न बनाये जाने को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे। बल्कि जयराम तो निगमो/बोर्डों में राजनीतिक ताजपोशियों को सार्वजनिक रूप से संसाधनों का दुरूपयोग करार दे चुके है। वीरभद्र द्वारा पांच दर्जन से अधिक लोगों को ऐसी ताजपोशीयां देने के लिये बराबर कोसते रहे है। इस परिदृश्य में यही सामने आता है कि जयराम एक बहुत बड़े राजनीतिक दवाब में चल रहे है। क्योंकि सचेतकों को मन्त्री का दर्जा देने से एक ऐसी प्रथा की शुरूआत हो जायेगी जिसका प्रदेश की वित्तिय स्थिति पर प्रतिकुल प्रभाव ही पड़ेगा। आज कांग्रेस को संख्या बल के आधार पर मान्यता प्राप्त विपक्ष का दर्जा नही मिल पाया है। लेकिन आने वाले समय में जब मान्यता प्राप्त विपक्ष होगा तब उसके नेता, मुख्य सचेतक और उपमुख्य सचेतक को भी इस एक्ट के तहत मन्त्री का दर्जा हासिल हो जायेगा। इस तरह सरकार के इस फैसले से कर्ज के चक्रव्यूह में फसे प्रदेश को इस स्थिति से निकालने का प्रयास करने की वजाये उसमें और धकेलने का काम किया जा रहा है। सचेतक की भूमिका पार्टी के दायरे से बाहर नही है यह इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि राज्यसभा सदस्यों और महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिये व्हीप जारी नही किया जा सकता है जबकि इस चुनाव में केवल विधायक और सांसद ही भाग लेते है।

केन्द्र में नहीं है सचेतकों को मन्त्री का दर्जा, यह है केन्द्र का अधिनियम

THE LEADERS AND CHIEF WHIPS OF RECOGNISED PARTIES ANDGROUPS IN PARLIAMENT (FACILITIES) ACT, 1998 (No. 5 of 1999)

(As amended by Act No. 18 of 2000) [7th January, 1999]

An Act to provide for facilities to Leaders and Chief Whips of recognised parties and groups in Parliament. Be it enacted by Parliament in the Forty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement. — (1) This Act may be called the Leaders and Chief Whips of Recognised Parties and Groups in Parliament (Facilities) Act, 1998. (2)) It shall be deemed to have come into force on the 5th day of February, 1999".

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) ''recognised group" means,— (i) in relation to the Council of States, every party which has a strength of not less than fifteen members and not more than twenty-four members in the Council;

(ii) in relation to the House of the People, every party which has a strength of not less than thirty members and not more than fifty-four members in the House.

(b) "recognised party" means,— (i) in relation to the Council of States, every party which has a strength of not less than twenty-five members in the Council; (ii) in relation to the House of the People, every party which has a strength of not less than fifty-five members in the House.

*3. Facilities to the Leaders and Chief Whips of recognised groups and parties.—Subject to any rules made in this behalf by the Central Government, each leader, deputy leader and each Chief Whip of a recognised group and a recognised party shall be entitled to telephone and secretarial facilities: Provided that such facilities shall not be provided to such leader, deputy leader or Chief Whip, as the case may be, who— (i) holds an office of Minister as defined in section 2 of the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952; or (ii) holds an office of the Leader of the Opposition as defined in section 2 of the Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Act, 1977; or (iii) is entitled to similar telephone and secretarial facilities by virtue of holding any office of, or representation in, a Parliamentary Committee or other Committee, Council, Board, Commission or other body set up by the Government; or (iv) is entitled to similar telephone and secretarial facilities provided to him in any other capacity by the Government or a local authority or Corporation owned or controlled by the Government or any local authority.

4.Power to make rules.—(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Every rule made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be mmade, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

5. Amendment of section 3 of Act 10 of 1959.— In the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, in section 3,— (i) after clause (ab), the following clause shall be inserted, namely:— "(ac) the office of 3 [each leader and deputy leader] of a recognised party and a recognised group in either House of Parliament." (ii) after Explanation 2, the following Explanation shall be inserted, namely:— Explanation 3. — In clause (ac), the expressions "recognised party" and "recognised group" shall have the meanings assigned to them in Leaders and Chief Whips of Recognised Parties and Groups in Parliament (Facilities) Act, 1998.

[6. Validation of rules and certain actions.— The Leaders and Chief Whips of Recognised Parties and Groups in Parliament (Telephone and Secretarial Facilities) Rules, 1999 published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 5th February 1999 with the notification of the Government of India in the Ministry of Parliamentary Affairs No. G.S.R. 66(E), dated the 4th February, 1999 (hereinafter referred to as the said Rules) shall be deemed to have and to have always had effect on and from the 5th day of February, 1999 as if the amendments made by section 2 had been in force at all material times and accordingly any action taken or anything done or purported to have been taken or done under the said Rules during the period commencing on and from the 5th day of February, 1999 and ending with the day on which the Leaders and Chief Whips of Recognised Parties and Groups in Parliament (Facilities) Amendment Act, 2000 receives the assent of the President shall be deemed to be, and to always have been for all purposes, as validity and effectively taken or done as if the said Rules had been in force at all material times.